

12. आय के साधन : आजीवन सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि तथा इसके अतिरिक्त आजीवन सदस्य अपने इच्छा से कभी भी वन्दा देना चाहें तथा आवश्यक्ता पड़ने पर कार्यकारिणी से निर्णय लेकर वार्षिक धन सारे समान से एकत्रित किया जा सकता है ।

सभा के सभी प्रकार के आय, व्यय वित्त सचिव कैश बुक में दर्ज करेंगे । सभा के प्रधान की अर्जुमति से ही सारा खर्च होगा जो कि कार्यकारिणी की जानकारी में लया जायेगा । खर्च के बिल, वाउचर आदि की फाइल वित्त सचिव ही रख-रखाव करेंगे । खर्च के वाउचर पास करने का अधिकार प्रधान को होगा ।

14. खाता :

सभा का खाता किस्मी भी सरकारी सड़कल बैंक में होगा । खाता चलाने का अधिकार सभा के प्रधान, महासची, वित्त सचिव को होगा । बैंक में से रकम तीनों में से कोई भी दो परामर्शकारी निकलवा सकेंगे ।

15. परामर्शकारियों के कार्य

क. प्रधान सभा का वार्षिक कार्यकारी अव्यक्ष होगा ।

ख. सभी शक्तियां प्रधान में निहित होंगी ।

ग. वह सभी कार्यों की देखभाल करेंगे ।

घ. किस्मी भी सदस्य या परामर्शकारी से किस्मी भी कार्य के लिए पूछताछ कर सकता है ।

ज. सभी कार्य प्रधान की देखरेख में होंगे तथा वह निवृत्तवृत्तार कार्यवाही करने में सक्षम होंगे ।

घ. किस्मी भी प्रकार की अतिव्यभिक्ता के लिये प्रधान को कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

2. वार्षिक उपप्रधान:

प्रधान की हट करत में सहयोग करने तथा प्रधान की प्रधान की हट करत में सहयोग करने तथा प्रधान की

अर्जुमति में सारा कार्यवाह वार्षिक उपप्रधान के पास होगा । प्रधान व वार्षिक उपप्रधान की अर्जुमति में उपप्रधान के पास कार्य प्राप्त होगा ।

सुप्रीम

सुप्रीम
1982
1982

सुप्रीम